झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।
अधिसूचना

राँची, दिनांक

संoसंo–**15 / साoअवo–03–04 / 2019** काo–   / झारखण्ड विधान सभा आम निर्वाचन, 2019 के मतदान हेतु पाँच चरणों में निर्धारित तिथियों (दिनांक–30.11.2019, 07.12.2019, 12.12.2019, 16.12.2019 एवं 20.12.2019) को मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–7171 दिनांक–14.11.2019 के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्रांक–78 / EPS / 2019 / 103 दिनांक–08.11.2019 के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–135 ख के तहत सवैतनिक अवकाश घोषित करने का निम्नांकित दिशा–निर्देश अनुपालन हेतु संसूचित किया जाता हैः–

(i) किसी कारबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोक सभा या किसी राज्य के विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जाएगा।

(ii) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किये जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसे ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जायेगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर ना किये जाने की दशा में दी गयी होती।

(iii) यदि कोई नियोजक उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंधो का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजक जुर्माने से, जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(iv) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के संबंध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान् हानि हो सकती है।

2. उपर्युक्त प्रावधानों के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक–78 / EPS / 2019 / 103 दिनांक 08.11.2019 के द्वारा निम्नांकित निदेश संसूचित हैंः–

(a) The above provisions require that all the electors who are employees of establishments and shops including those who work on shift basis shall be granted a paid holiday on the day of poll in the Constituency where a General/bye-election is to be held. Further, there may be cases where a person is ordinarily resident of the Constituency and registered as an elector, may be serving/employed in an industrial undertaking or an establishment located outside the Constituency having a general/bye-election. It is clarified that in such a situation, even those electors including casual workers working outside the constituency concerned would be entitled to the benefit of a paid holiday extended under Section-135B(1) of the Representation of the People Act, 1951.

ह० 24/11/19

(b) The daily wage/casual workers are also entitled for a holiday and wages on poll day as provided in Section 135B of the R.P. Act, 1951.

3. उपर्युक्त प्रावधान/दिशा–निर्देश झारखण्ड विधान सभा आम निर्वाचन, 2019 के अवसर पर मतदान हेतु निर्धारित तिथियों को संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(एच० के० सुधाँशु)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–**15/सा०अव०–03–04/2019** का॰– 9211 /राँची, दिनांकः– 20.11.19

प्रतिलिपि–नोडल पदाधिकारी, ई. गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची को झारखण्ड ई–गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इस अधिसूचना को प्रेस विज्ञप्ति के रूप में मोटे अक्षरों में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के निमित्त सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

20/11/19

सरकार के अवर सचिव।